निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 22/2024
दायरा दिनांकः–26.06.2024
निर्णय दिनांकः– 15.1.25

उनवान

पप्पू उर्फ कल्लुलाल आयु 60 साल आत्मज भवरया उर्फ भंवरलाल जाति खाती निवासी बटावदापार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. घीस्या आयु 65 साल आत्मज भवरया जाति खाती निवासी बटावदापार हाल कोलुखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. माया आयु 85 साल पत्नि भवरया जाति खाती
3. श्रवण आयु 50 साल आत्मज भवरया जाति खाती निवासी बटावदापार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 15.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बृज भुषण शर्मा – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बटावदापार तहसील छबड़ा में भूमि खसरा न० 381 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 525 रकबा 1.0242 हैक्टेयर खसरा नं0 906 रकबा 1.7571 हैक्टेयर कुल 3 किता भूमि मवाजी 2.8451 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अवस्थित चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की मद नं.1 में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पप्पू दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कल्लूलाल है। प्रार्थना पत्र की मदनं में वर्णित भूमियात प्रार्थी की पैत्रिक जायदाद है जो विरासत से प्राप्त हुई है उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने पर फौती इंतकाल में प्रार्थी का बोलता नाम पप्पू दर्ज करवा दिया गया जबकि प्रार्थी के दो नाम थे जिसमें बोलता नाम पप्पू एवं घर का नाम कल्लूलाल था, तथा वर्तमान में भी प्रार्थी को दोनो नामो से जाना जाता है। प्रार्थी द्वारा सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम कल्लूलाल दर्ज है लेकिन राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रिकॉर्ड में बोलता नाम पप्पू दर्ज है इस कारण प्रार्थी को सरकार द्वारा दिये जा रहे लाभ जो कृषक के रूप में प्रार्थी को प्राप्त होना चाहिये था उक्त लाभ नहीं मिल पा रहे है तथा सरकारी लाभ से वंचित हो रहा है. इस कारण प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में पप्पू दर्ज है तथा प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजात में कल्लूलाल नाम दर्ज होने से प्रार्थी अपने नाम पप्पू के साथ राजस्व रिकॉर्ड में अपना वास्तविक नाम कल्लूलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है, जिससे प्राथी को सभी लाम प्राप्त हो सके। अप्रार्थी नं. 1 ता 3 सहखातेदारान होने से पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ प्रार्थी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 98 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोडियामेहर, आधार कार्ड काल्लुलाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बटावदापार में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पू दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कल्लूलाल है विवादित आराजी प्रार्थी की पैत्रक जायदाद है जो विरासत से प्राप्त हुई है पिता के स्वर्गवास होने के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी का बोलता नाम पप्पू दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कल्लुलाल है वर्तमान में प्रार्थी को दोनो नामों से जाना जाता है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में सही नाम कल्लुलाल दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बोलता नाम पप्पू दर्ज कर दिया गया है राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ नही मिल पा रहे है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पप्पू के स्थान पर कल्लुलाल दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 98 के अनुसार पप्पू पुत्र भंवरया हिस्सा 1/4 जाति खाती सा0देह दर्ज रिकार्ड है प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गोडियामेहर द्वारा कल्लुलाल पुत्र भंवरलाल पप्पू पुत्र भंवरलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम बताया गया है आधार कार्ड में कल्लुलाल पुत्र भंवरलाल अंकित है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बटावदापार में खाता संख्या 98 में दर्ज खातेदार पप्पू पुत्र भंवरया हिस्सा 1/4 जाति खाती सा0देह विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है प्रार्थी का अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पप्पू से कल्लुलाल करवाना चाहता है प्रार्थी के बारे में ग्राम वासियों से जानकारी करने पप्पू व कल्लुलाल दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है बचपन में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

का मुहबोला नाम पप्पू था जो कि उस समय राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया था। राजस्व रिकार्ड ग्राम बटावदापार में खाता संख्या 98 में दर्ज सहखातेदार जो कि प्रार्थी के परिवारगणों ने भी पप्पू व कल्लुलाल दोनो एक ही व्यक्ति का ही नाम है प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में कल्लुलाल ही है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेंजो के आधार पर प्रार्थी पप्पू का वास्तविक नाम कल्लुलाल पुत्र भंवरलाल है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पप्पू के स्थान पर कल्लुलाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बटावदापार तहसील छबडा के खसरा नम्बर 381 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 525 रकबा 1.0242 है0 खसरा नम्बर 906 रकबा 1.7571 है में प्रार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर पप्पू उर्फ कल्लुलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा